[2020] 2 उम. नि. प. 35

रामखिलाड़ी और एक अन्य

बनाम

द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और एक अन्य

[2019 की सिविल अपील सं. 9393]

7 जनवरी, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163, 163क, 166, 140, 147 और 2(30)] – अपील – मृतक चालक द्वारा कोई यान उधार में लेना – यान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मृतक चालक की मृत्यु होना – यान मालिक और बीमा कंपनी का दायित्व – यदि कोई व्यक्ति किसी यान मालिक से उसका यान उधार में लेता है और उसके द्वारा यान चलाए जाने के दौरान यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्घटना में कारित क्षतियों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए यान मालिक जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि मृतक चालक ने स्वयं ही यान मालिक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और यदि यान, बीमाकृत है तो बीमा कंपनी तत्समय प्रवृत्त बीमा विधि के अधीन प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी होगी ।

वर्तमान मामले में, एक यानिय दुर्घटना, जो 2 अक्तूबर, 2006 को घटित हुई थी, में छोटेलाल **उर्फ** शिवराम की मृत्यु हो गई थी । मृतक एक मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 थी, से यात्रा कर रहा था । इस प्रक्रम पर, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि दावेदारों के अनुसार भी दुर्घटना, एक अन्य मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 थी, के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक मोटर साइकिल चलाने के कारण घटित हुई थी । कि इसमें के अपीलार्थियों ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लक्षमनगढ़ (अलवर), राजस्थान के समक्ष एक दावा याचिका

फाइल की थी । इस प्रक्रम पर, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि दावा याचिका मात्र मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 थी, के स्वामी और इसके बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी । न तो चालक न ही स्वामी अथवा न ही यान जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के बीमा कंपनी को दावा याचिका में विरोधियों के रूप में सम्मिलित थे । अत: इस प्रकार, दुर्घटना में अंतर्वलित यान अर्थात् मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 थी, के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की गई थी । कि मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी-बीमाकर्ता द्वारा यह आक्षेप उद्भूत किया गया है कि क्योंकि दावेदारों के अनुसार और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथाकथित भी मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के चालक द्वारा मोटर साइकिल को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था और दावेदारों ने उक्त यान के स्वामी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की थी, इसलिए, मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के बीमा कंपनी के विरुद्ध दावा याचिका को खारिज किए जाने की अपेक्षा है । विद्वान् अधिकरण ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विवाद्यक सं. 1 और 2 का उत्तर दावेदारों के पक्ष में दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक छोटे लाल **उर्फ** शिवराम की मृत्यु दुर्घटना में अंतर्वलित मोटर साइकिल से घटित हुई थी और उक्त मोटर साइकिल प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत थी, इसलिए, बीमा कंपनी, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी है । परिणामत:, विद्वान् अधिकरण ने तारीख 24 फरवरी, 2009 के निर्णय और पंचाट द्वारा उक्त याचिका को भागत: मंजूर कर लिया था और प्रतिकर के रूप में कुल 3,67,000/- रुपए अधिनिर्णीत करने के साथ ही दावा याचिका फाइल किए जाने की तारीख से वास्तविक संदाय करने की तारीख तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ संदाय करना अधिनिर्णीत किया था । विद्वान् अधिकरण द्वारा मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के बीमा कंपनी को प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी अभिनिर्धारित करते हुए पारित निर्णय और पंचाट से व्यथित और

असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी-मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के बीमाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी । कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील को मंजूर कर लिया और विद्वान् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट को अभिखंडित और अपास्त कर दिया और परिणामत:, इस आधार पर दावा याचिका खारिज कर दिया था, इत्तिलाकर्ता विक्रम सिंह जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी, के अनुसार भी दुर्घटना, मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कारण घटित हुई थी, तथापि, दावेदारों ने उक्त यान के स्वामी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की है और वास्तव में, दावेदारों द्वारा यान संख्या आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी के विरुद्ध प्रतिकर की ईप्सा करते हुए दावा याचिका फाइल की जानी चाहिए थी । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, मूल दावेदारों ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है । न्यायालय द्वारा अपील भागत: मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – क्रमश:, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना गया । हमने, विद्वान् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट के साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा अभिलेख पर के साक्ष्यों का भी परिशीलन और विचार किया । संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और यदि जहां एक अन्य यान के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी दुर्घटना में अंतर्वलित है और उस चालक की उपेक्षा को दावा याचिका में पक्षकारों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसका अभिप्राय: यह है कि उनके विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की गई है और दावा याचिका मात्र एक अन्य यान के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध ही फाइल की गई है जिसे स्वयं मृतक द्वारा चलाया जा रहा था और मृतक द्वारा स्वयं को यान चलाने की स्वामी की जिम्मेदारी ले ली गई थी तो क्या स्वयं मृतक द्वारा चलाए जा रहे यान की बीमा कंपनी, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी होगी ? क्या मृतक यान संख्या आरजे 02 एसए 7811 का पर-व्यक्ति नहीं होने के

नाते स्वामी की जिम्मेदारी में होने के नाते उक्त यान के स्वामी से अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा कायम रख सकता है ? विद्वान् अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्य यान के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी का दुर्घटना में अंतर्वलित होने के अभाव में भी और जिसके चालक की एकमात्र उपेक्षा थी, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन उस यान के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध आवेदन कायम रखे जाने योग्य होता है जिसे स्वयं मृतक द्वारा चलाया जा रहा था, प्रथमत:, इस आधार पर कि मृतक उस यान के स्वामी के नियोजन में था जिसे उसके द्वारा चलाया जा रहा था और द्वितीयत:, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन आवेदन में उपेक्षा को सिद्ध और साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है और मात्र यह सिद्ध और साबित करना ही पर्याप्त होता है कि मृतक की मृत्यु यानीय दुर्घटना में हुई है और यान चलाते समय हुई है । उच्च न्यायालय इससे सहमत नहीं था और अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि दावेदारों ने उस एक अन्य यान के स्वामी के विरुद्ध दावा याचिका फाइल नहीं की है, दावेदारों के अनुसार भी जिसके चालक की वस्तुत: उपेक्षा थी और दावेदारों द्वारा उस एक अन्य यान के स्वामी के विरुद्ध प्रतिकर की ईप्सा करते हुए, दावा याचिका फाइल की जानी चाहिए थी, स्वयं मृतक द्वारा चलाए जा रहे यान के बीमा कंपनी के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन आवेदन खारिज किए जाने योग्य है । वर्तमान मामले में, अंतर्वलित पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, सर्वप्रथम, विवाद्यक सं. 2 पर विद्वान् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार किया जाना अपेक्षित है । विद्वान् अधिकरण ने इस प्रभाव का विवाद्यक सं. 2 विरचित किया था कि क्या मृतक-चालक, यान-मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 को यान स्वामी-विरोधी पक्षकार-भगवान सहाय के हित में या उसकी अनुज्ञा/जानकारी में उसके नियोजन के अधीन चला रहा था ? विद्वान् अधिकरण द्वारा विवाद्यक सं. 2 पर अभिलिखित निष्कर्ष का उत्तर देते समय, यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार, विद्वान् अधिकरण पूर्वोक्त विवाद्यक पर किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया है । विवाद्यक सं. 2 का उत्तर देते समय, इस बाबत कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि क्या मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी

भगवान सहाय के नियोजन में था या नहीं । अन्यथा भी, दावेदारों द्वारा यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में था । उपर्युक्त के बावजूद, विवाद्यक सं. 4 का उत्तर देते समय विद्वान् अधिकरण द्वारा इस बारे में कुछ मताभिव्यक्ति की गई है कि मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में था जिसका अभिलेख पर किसी साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं होता है । इन परिस्थितियों में, मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में होना नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उसे विरोधी-स्वामी भगवान सहाय द्वारा धारित मोटर साइकिल का अनुज्ञेय उपयोगकर्ता और/अथवा उधार लेने वाला कहा जा सकता है । इन निष्कर्षों के साथ इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए इसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट मुख्य प्रश्न पर विचार किया जाना अपेक्षित है । यह सत्य है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावे में, दावेदारों के लिए उपेक्षा का अभिवाक् करना या सिद्ध करना आवश्यक नहीं है/अथवा यह कि मृत्यु, जिसके संबंध में दावा याचिका फाइल की गई है, वह संबंधित यान के स्वामी के दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुआ है, सिद्ध करना ईप्सित है । यह भी सत्य है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा याचिका बिना किसी दोष के दायित्व के सिद्धांत के आधार पर आधारित है । तथापि, उस समय पर, मृतक एक तृतीय पक्षकार था और उस यान के स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा कायम नहीं रख सकता था जिसे उसने उधार लिया था क्योंकि उसने स्वामी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और वह यान रजिस्ट्रीकरण सं. आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी और बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163 के अधीन दावा कायम नहीं रख सकता है । वर्तमान मामले में, पक्षकार, बीमा संविदा द्वारा शासित है और बीमा संविदा के अधीन बीमा कंपनी का दायित्व मात्र तृतीय पक्षकार के बराबर होता है । वर्तमान मामले में, जैसा कि इसमें उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है, मृतक को बीमाकृत यान रजिस्ट्रीकरण सं. आरजे 02 एसए 7811 के संबंध में तृतीय पक्षकार नहीं कहा जा सकता है, इस बारे में, कोई विवाद नहीं किया जा सकता है कि बीमा कंपनी का दायित्व, बीमा संविदा के निबंधनों और

शर्तों के अनुसार होता है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **धनराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा पॉलिसी में यान (जिसमें माल का स्वामी या उसका प्राधिकृत सम्मिलित है) से किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित होने के संबंध में बीमाकृत द्वारा या यान के उपयोग द्वारा कारित या उद्भूत तृतीय पक्षकार के किसी संपत्ति में क्षति कारित होने का दायित्व सम्मिलित होता है । उपर्युक्त विनिश्चय में, इस न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 147 यह अपेक्षा नहीं करती है कि बीमा कंपनी, यान के स्वामी की मृत्यु या शारीरिक क्षति के लिए जोखिम के लिए उपधारणा करे । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कथित कारणों से, वर्तमान मामले में, जैसा कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा मात्र उस यान के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध किया गया था जिसे मृतक द्वारा स्वयं चलाया जा रहा था जिसे उसने यान के स्वामी से उधार लिया था और उसने स्वयं स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह सही ही मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा दावा कायम रखे जाने योग्य नहीं है और दावेदारों को अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा अपराध करने वाले यान अर्थात् आरजे 29 2एम 9223 उक्त यान के तृतीय पक्षकार होने के नाते चालक, स्वामी और/या बीमा कंपनी के विरुद्ध करना चाहिए । तथापि, उस समय पर बीमा संविदा के अनुसार भी वैयक्तिक दुर्घटना के मामले में स्वामी-चालक 1 लाख रुपए की रकम पाने का हकदार होता है । इसलिए, मृतक, जैसा कि इसमें उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है जिसने स्वामी की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले ली थी, बीमा संविदा के अनुसार भी 1 लाख रुपए पाने का हकदार होगा । तथापि, मूल दावेदारों का यह पक्षकथन है कि द्वितीय अनुसूची में संशोधन हुआ है और मृत्यु के मामले में, 5 लाख रुपए की नियत रकम विनिर्दिष्ट की गई है और इसलिए, दावेदार 5 लाख रुपए पाने के हकदार होंगे । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, दुर्घटना, वर्ष 2006 में घटित हुई थी और यहां तक कि विद्वान् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय और पंचाट वर्ष 2009 में पारित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश तारीख 10 मई, 2018 को अर्थात् द्वितीय

अनुसूची में संशोधन के पूर्व पारित किया गया था । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दावेदार द्वितीय अनुसूची में संशोधन का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । उस समय पर, जैसा कि उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है, दावेदार बीमा संविदा के निबंधनों के अनुसार चालक द्वारा यान के स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के कारण 1 लाख रुपए पाने का हकदार होगा । (पैरा 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 और 5.8)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2018]	(2018) 9 एस. सी. सी. 801 : **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **आशोलता भौमिक ;**	4.3, 5.9
[2018]	(2018) 3 एस. सी. सी. 1 : **नवीन कुमार** बनाम **विजय कुमार** ;	3.3, 5.7
[2015]	(2015) 4 एस. सी. सी. 237 : **जितेन्द्र त्रिवेदी** बनाम **कासम दाउद** ;	3.7
[2013]	(2013) 9 एस. सी. सी. 65 : **रेश्मा कुमारी** बनाम **मदन मोहन** ;	3.2
[2009]	(2009) 13 एस. सी. सी. 710 : **निनगम्मा** बनाम **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.** ;	5.4
[2008]	(2008) 5 एस. सी. सी. 736 : **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **रजनी देवी** ;	4.2, 5.9
[2008]	(2008) 3 एस. सी. सी. 193 : **प्रेम कुमारी** बनाम **प्रह्लाद देव** ;	5.9
[2007]	(2007) 9 एस. सी. सी. 263 : **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **झूमा साहा** ;	5.9

[2007] (2007) 3 एस. सी. सी. 700 :
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम
लक्ष्मी नारायण दत्त ; 5.9

[2004] (2004) 8 एस. सी. सी. 553 :
धनराज बनाम **न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.** । 5.5, 5.9

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2019 की सिविल अपील सं. 9393.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री अभिषेक गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री अमित कुमार सिंह, (श्रीमती) के. इनातोली सेमा, गौरव प्रकाश, अक्षय शर्मा, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – मूल दावेदारों ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा 2009 की एस.बी.सी.एम.ए. संख्या 2614 में पारित तारीख 10 मई, 2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान् मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट को अभिखंडित और अपास्त करते हुए, प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को मंजूर कर लिया था और परिणामस्वरूप, मूल दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका को खारिज कर दिया था, से व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

2. वर्तमान अपील के मुख्य तथ्य, संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

2.1 कि एक यानिय दुर्घटना, जो 2 अक्तूबर, 2006 को घटित हुई थी, में छोटेलाल **उर्फ** शिवराम की मृत्यु हो गई थी । मृतक एक मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 थी, से यात्रा कर रहा था । इस प्रक्रम पर, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि दावेदारों के अनुसार भी दुर्घटना, एक अन्य मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 थी, के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक मोटर साइकिल चलाने के कारण

घटित हुई थी । कि इसमें के अपीलार्थियों ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 163क के अधीन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, लक्ष्मनगढ़ (अलवर), राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'विद्वान् अधिकरण' कहा गया है) के समक्ष एक दावा याचिका फाइल की थी । इस प्रक्रम पर, यह उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है कि दावा याचिका मात्र मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 थी, के स्वामी और इसके बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी । न तो चालक न ही स्वामी अथवा न ही यान जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के बीमा कंपनी को दावा याचिका में विरोधियों के रूप में सम्मिलित थे । अत: इस प्रकार, दुर्घटना में अंतर्वलित यान अर्थात् मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 थी, के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की गई थी । कि मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी-बीमाकर्ता द्वारा यह आक्षेप उद्भूत किया गया है कि क्योंकि दावेदारों के अनुसार और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यथाकथित भी मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के चालक द्वारा मोटर साइकिल को उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक चलाया जा रहा था और दावेदारों ने उक्त यान के स्वामी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की थी, इसलिए, मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के बीमा कंपनी के विरुद्ध दावा याचिका को खारिज किए जाने की अपेक्षा है । विद्वान् अधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यकों को विरचित किया था :-

1. क्या दुर्घटना, प्रश्नगत यान मोटर साइकिल संख्या आरजे 02 एसए 7811 के चालक छोटेलाल **उर्फ** शिवराम द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाने के कारण तारीख 2 अक्तूबर, 2006 को घटित हुई थी ?

2. क्या चालक, उक्त यान के स्वामी विरोधी पक्षकार सं. 1 भगवान सहाय का एक कर्मचारी होने के नाते उसके हित में या

उसकी अनुज्ञा/जानकारी में यान चला रहा था ?

3. अभिकथित दुर्घटना में छोटेलाल उर्फ शिवराम (चालक) की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप कितनी अधिक विधिमान्य रकम और किस तरीके से अपीलार्थी किस विरोधी पक्षकारों से पाने के हकदर हैं ?

4. क्या प्रारंभिक/विनिर्दिष्ट कथनों में उद्भूत आक्षेप महत्वपूर्ण है, यदि हां, तो इसका प्रभाव ?

5. अनुतोष ।

2.2 विद्वान् अधिकरण ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के पश्चात् विवाद्यक सं. 1 और 2 का उत्तर दावेदारों के पक्ष में दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक छोटे लाल **उर्फ** शिवराम की मृत्यु दुर्घटना में अंतर्वलित मोटर साइकिल से घटित हुई थी और उक्त मोटर साइकिल प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत थी, इसलिए, बीमा कंपनी, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी है । परिणामतः, विद्वान् अधिकरण ने तारीख 24 फरवरी, 2009 के निर्णय और पंचाट द्वारा उक्त याचिका को भागतः मंजूर कर लिया था और प्रतिकर के रूप में कुल 3,67,000/- रुपए अधिनिर्णीत करने के साथ ही दावा याचिका फाइल किए जाने की तारीख से वास्तविक संदाय करने की तारीख तक 6% वार्षिक ब्याज के साथ संदाय करना अधिनिर्णीत किया था ।

2.3 विद्वान् अधिकरण द्वारा मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के बीमा कंपनी को प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी अभिनिर्धारित करते हुए पारित निर्णय और पंचाट से व्यथित और असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी-मोटर साइकिल रजिस्ट्रकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के बीमाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की थी । कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपील को मंजूर कर लिया और विद्वान् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट को अभिखंडित और अपास्त कर दिया और परिणामतः, इस आधार पर दावा याचिका खारिज कर दिया था,

इत्तिलाकर्ता विक्रम सिंह जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी, के अनुसार भी दुर्घटना, मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के चालक द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक यान चलाने के कारण घटित हुई थी, तथापि, दावेदारों ने उक्त यान के स्वामी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की है और वास्तव में, दावेदारों द्वारा यान संख्या आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी के विरुद्ध प्रतिकर की ईप्सा करते हुए दावा याचिका फाइल की जानी चाहिए थी ।

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, मूल दावेदारों ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है ।

3. अपीलार्थियों-मूल दावेदारों के विद्वान् अधिवक्ता श्री अभिषेक गुप्ता ने बलपूर्वक यह निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने दावा याचिका एकमात्र इस आधार पर खारिज करने में तात्विक त्रुटि कारित की है कि दावेदारों ने मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी के विरुद्ध दावा याचिका फाइल नहीं की है ।

3.1 अपीलार्थियों-मूल दावेदारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा यह निवेदन किया गया है कि चूंकि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का समुचित तौर पर मूल्यांकन नहीं किया है कि मूल दावेदारों द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन था और इसलिए, जब दावा याचिका अधिनिनयम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रस्तुत किया गया था तो दावेदारों के लिए यह अभिवाक् करना या सिद्ध करना आवश्यक नहीं था कि मृत्यु जिसके संबंध में दावा याचिका की गई है, संबंधित यान के स्वामी के किसी गलत कृत्य या उपेक्षा या दोषपूर्ण कृत्य के कारण हुई थी ।

3.2 अपीलार्थियों-मूल दावेदारों के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि मूल दावेदारों द्वारा फाइल दावा याचिका, अत्रुटिपूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर आधारित थी । यह निवेदन किया है कि दावेदार या तो त्रुटिपूर्ण दायित्व के आधार पर अपराध करने वाले यान अर्थात् आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध

अधिनियम, 1988 की धारा 166 के साथ पठित धारा 140 के अधीन अथवा या तो दुर्घटना के समय पर मृतक द्वारा चलाए जा रहे यान अर्थात् आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन अथवा या तो अत्रुटिपूर्ण दायित्व के आधार पर अपराध करने वाले यान अर्थात् आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध दावा याचिका फाइल करने का चुनाव कर सकते थे । अपीलार्थियों, मूल दावेदारों के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि चूंकि मृतक यान रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 का स्वामी नहीं था और वास्तव में तथा जैसा कि विद्वान् अधिकरण द्वारा मत व्यक्त किया गया है, वह यान संख्या आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी के नियोजन में था और इसलिए, वह पर-व्यक्ति था । यह निवेदन किया गया है कि दुर्घटना के समय पर मृतक द्वारा चलाए जा रहे यान अर्थात् आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध अत्रुटिपूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा प्रस्तुत करने का चुनाव किया गया है इसलिए, दावा सुनिश्चित तौर पर न्यायोचित और कायम रखे जाने योग्य है और विद्वान् अधिकरण ने उसे मंजूर करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है । उपर्युक्त के समर्थन में, मूल दावेदारों के विद्वान् अधिवक्ता ने **रेश्मा कुमारी** बनाम **मदन मोहन**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का बलपूर्वक तरीके से अवलंब लिया है ।

3.3 मूल दावेदारों के विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क का निर्वचन, विधान-मंडल के आशय और इसे प्राप्त करने के लिए सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए । यह एक ऐसा उपबंध है जो फायदा पहुंचाने वाली प्रकृति का है और इसे सामाजिक सुरक्षा के मापदंड के रूप में अधिनियमित किया गया है । यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क, 'सर्वोपरि खंड' के रूप में प्रारंभ होता है । प्रतिकर संदाय करने का दायित्व 'मोटर यान के स्वामी' या 'प्राधिकृत

---

[1] (2013) 9 एस. सी. सी. 65.

बीमाकर्ता' पर होता है । यह निवेदन किया गया है कि शब्द 'स्वामी' को अधिनियम, 1988 की धारा 2(30) के अधीन परिभाषित किया गया है जिसमें 'स्वामी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम में मोटर यान रजिस्टर है और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है वहां उस व्यक्ति का संरक्षक अभिप्रेत है और उस मोटर यान के संबंध में जो अवक्रय करार या पट्टे के करार या आडमान के करार पर लिया गया है वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका उस यान पर उस करार के अधीन कब्जा है ।' यह निवेदन किया गया है कि 'स्वामी' के उक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने **नवीन कुमार** बनाम **विजय कुमार**[1] वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया है कि रजिस्टर करने वाले प्राधिकारी के अनुसार, यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी द्वारा यान का विक्रय/क्रय करने के बावजूद अपराध करने वाले यान के संबंध में दायी होता है । यह निवेदन किया गया है कि पैराग्राफ 6 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्ति जिसके नाम में मोटर यान रजिस्ट्रीकृत होता है वह व्यक्ति, अधिनियम, 1988 के प्रयोजन के लिए यान का स्वामी होता है ।

3.4 अपीलार्थियों, मूल दावेदारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर का दावा करने के लिए दावेदारों से मात्र यह साबित करने की अपेक्षा होती है कि मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता, मोटर यान के उपयोग से कारित दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है और वह उन सभी पर लागू होगा जो स्वयं यान चला रहे हैं, यात्रीगण और पैदल चलने वालों पर भी लागू होगा । यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन आवेदन में संबंधित यान या यानों के स्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की गलती को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है ।

3.5 अपीलार्थियों-मूल दावेदारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि इसलिए, क्योंकि वर्तमान दावा मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अधिनियम, 1988 की धारा 163क के

---

[1] (2018) 3 एस. सी. सी. 1.

अधीन अत्रुटिपूर्ण दायित्व अनुज्ञात हुआ है, अतएव, वह उस मोटर यान के स्वामी और बीमाकर्ता के विरुद्ध कायम रखे जाने योग्य है जिसे उसके द्वारा चलाया जा रहा था, विशिष्टतया, तब जब मृतक यान का स्वामी नहीं था और यह कि प्रत्यर्थी सं. 2 संबंधित यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी था और इसलिए, बीमा कंपनी, विद्वान् अधिकरण द्वारा यथा अधिनिर्णीत प्रतिकर का संदाय करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकती है ।

3.6 उपर्युक्त निवेदनों को करते हुए, वर्तमान अपील को मंजूर करने की प्रार्थना की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अभिखंडित और अपास्त करने और विद्वान् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट को प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना की गई है जिसमें यान रजिस्ट्रीकृत संख्या आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी और उक्त यान के बीमाकर्ता को प्रतिकर संदाय करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है ।

3.7 अपीलार्थियों-मूल दावेदारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि इस प्रकार, विद्वान् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम अर्थात् 3,67,000/- रुपए को ब्याज सहित रुपए 5,00,000/- तक बढ़ा दिया जाना चाहिए जैसा कि विद्वान् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है, इस तथ्य के प्रकाश में कि मोटर यान अधिनियम, 1988 के द्वितीय अनुसूची में तारीख 22 मई, 2018 को संशोधन किया गया है और मृत्यु के मामले में रुपए 5,00,000/- की नियत प्रतिकर, विनिर्दिष्ट किया गया है । यह निवेदन किया गया है कि यह न्यायालय उन मामलों में भी प्रतिकर की रकम को बढ़ा सकता है जिनमें अधिकरण के आदेश के विरुद्ध प्रतिकर बढ़ाने के लिए अपील प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके समर्थन में, मूल दावेदारों के विद्वान् काउंसेल ने **जितेन्द्र त्रिवेदी** बनाम **कासम दाउद**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है ।

4. वर्तमान अपील का प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता

---

[1] (2015) 4 एस. सी. सी. 237.

श्री अमित कुमार सिंह द्वारा जोरदार विरोध किया गया है ।

4.1 प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, मृतक ने रजिस्ट्रीकृत स्वामी भगवान सहाय से मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकृत संख्या आरजे 02 एसए 7811 को उधार लिया था । यह निवेदन किया गया है कि एक अन्य मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 जिसे उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाया जा रहा था और उस मोटर साइकिल को टक्कर मार दिया था जिससे मृतक यात्रा कर रहा था । यह निवेदन किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी के विरुद्ध दर्ज की गई थी । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि बीमाकृत यान अर्थात् आरजे 02 एसए 7811 जिस पर मृतक यात्रा कर रहा था, की कोई उपेक्षा नहीं थी । यह निवेदन किया गया कि वर्तमान मामले में, मृतक के दावेदारों ने अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन एक आवेदन फाइल किया और मात्र बीमाकृत यान अर्थात् आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी से ही प्रतिकर की ईप्सा की थी । यह निवेदन किया गया है कि विद्वान् अधिकरण ने अभिलेख पर किसी साक्ष्य के बिना यह निष्कर्ष निकाला है कि मृतक, रजिस्ट्रीकृत स्वामी के नियोजन के अधीन कार्य कर रहा था । यह निवेदन किया गया है कि इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को सही ही मंजूर किया है, यह मत व्यक्त करते हुए कि दावेदारों को यान रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी के विरुद्ध दावा याचिका फाइल करनी चाहिए थी । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के समर्थन में, बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं :–

(i) कि मृतक बीमाकृत यान के संबंध में एक पर-व्यक्ति नहीं था । वह मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के संबंध में एक पर-व्यक्ति था ।

(ii) कि दावेदारों को जब मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के स्वामी से प्रतिकर दावा करने में

असफल हो गए, तो अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि उक्त मोटर साइकिल के चालक ने यान रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी से प्रतिकर का दावा किया है ।

(iii) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मात्र पर-व्यक्ति का दावा देय योग्य होता है ।

(iv) कि वर्तमान मामले में, मृतक एक पर-व्यक्ति नहीं था क्योंकि उसने रजिस्ट्रीकृत स्वामी श्री भगवान सहाय मीना से यान उधार लिया था ।

(v) कि निनगम्मा **बनाम** यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. [(2009) 13 एस. सी. सी. 710] और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. **बनाम** सदानंद मुखी [(2009) 2 एस. सी. सी. 417] वाले मामलों में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यान का स्वामी या उसके विधिक प्रतिनिधिगण या यान को उधार लेने वाले उस दुर्घटना के लिए दावा उद्भूत नहीं कर सकते हैं जिसमें बीमाकृत यान की ओर से कोई उपेक्षा नहीं हुई है । यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त विनिश्चयों में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यान को उधार में लेने वाला, स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और इसलिए, यान को उधार में लेने वाला या उसके विधिक प्रतिनिधिगण, अधिनियम, 1988 के अधीन बीमाकर्ता से प्रतिकर पाने के हकदार नहीं होते हैं । यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में मृतक ने स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और इसलिए, कोई पर-व्यक्ति, बीमा कंपनी से प्रतिकर पाने का हकदार नहीं है ; और

(vi) कि धनराज **बनाम** न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. [(2004) 8 एस. सी. सी. 553] वाले मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा नीति में किसी व्यक्ति (जिसमें मालों का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधिगण सम्मिलित है) की मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में बीमाकृत द्वारा दायित्व आच्छादित होती है जो यान में सफर करता है या

यान के उपयोग से कारित या उद्भूत पर-व्यक्ति की संपत्ति को कोई क्षति पहुंचाता है । यह भी अभिनिर्धारित किया है कि धारा 147 यह अपेक्षा नहीं करती है कि बीमा कंपनी, यान के स्वामी की मृत्यु या शारीरिक क्षति के लिए जोखिम की उपधारणा करे ।

4.2 बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, बीमा संविदा, विनिर्दिष्टत: यह उपबंध करता है कि वैयक्तिक दुर्घटना के मामले में, मात्र स्वामी-सह-चालक ही एक लाख रुपए की रकम पाने का हकदार है । यह निवेदन किया गया है कि इसलिए, मृतक जिसने स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, अधिक-से-अधिक मात्र एक लाख रुपए ही पाने का हकदार हो सकता है । यह निवेदन किया गया है कि **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **रजनी देवी**[1] वाले मामले में, जब प्रतिकर के लिए यान के स्वामी या एक अन्य यात्री की मृत्यु होने पर दावा किया जाता है तो बीमा संविदा, संविदा-दर-संविदा शासित होने के नाते बीमा कंपनी का दावा उसके निबंधनों पर निर्भर करेगा । यह निवेदन किया गया है कि उक्त विनिश्चय में, इस न्यायालय ने अधिकरण द्वारा व्यक्त किए गए इस मत को स्वीकार नहीं किया है कि प्रतिकर की रकम का अवधारण करते समय मात्र वह कारक सुसंगत होगा जो मोटर यान के मात्र उपयोग से उद्भूत होता है । यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त मामले में, पैरा 11 में, इस न्यायालय द्वारा यह भी मत व्यक्त किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दायित्व यान के स्वामी पर होता है क्योंकि एक व्यक्ति दोनों ही अर्थात् दावेदार और प्राप्तकर्ता भी नहीं हो सकता है ।

4.3 **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **आशोलता भौमिक**[2] वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेते हुए, यह निवेदन किया गया है कि पक्षकार, बीमा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे । यह निवेदन किया गया है कि इसलिए, दावेदार मृतक द्वारा स्वामी की जिम्मेदारी लेने के नाते अधिक से अधिक मात्र एक

---

[1] (2008) 5 एस. सी. सी. 736.

[2] (2018) 9 एस. सी. सी. 801.

लाख रुपए तक प्रतिकर पाने के हकदार हो सकते हैं ।

4.4 अब, जहां तक अपीलार्थियों-मूल दावेदारों के इस निवेदन का संबंध है कि द्वितीय अनुसूची में संशोधन हो गया है और मृत्यु की दशा में विनिर्दिष्टत: पांच लाख रुपए की प्रतिकर नियत की गई है और इसलिए, दावेदार पांच लाख रुपए की प्रतिकर पाने के हकदार हैं । बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह बलपूर्वक निवेदन किया गया है कि उक्त संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता है । यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान मामले में, दुर्घटना वर्ष 2006 में घटित हुई थी और यहां तक कि विद्वान् अधिकरण द्वारा वर्ष 2009 में पारित निर्णय और पंचाट पारित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा भी आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वितीय अनुसूची में संशोधन के पूर्व अर्थात् 18 फरवरी, 2018 को पारित किया गया था ।

4.5 उपर्युक्त निवेदनों को करते हुए, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपील को खारिज किया जाए और/अथवा बीमा संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार एक लाख रुपए की सीमा तक अपील को भागत: मंजूर किया जाए ।

5. क्रमश:, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना गया । हमने, विद्वान् अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और पंचाट के साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा अभिलेख पर के साक्ष्यों का भी परिशीलन और विचार किया । संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए है वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और यदि जहां एक अन्य यान के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी दुर्घटना में अंतर्वलित है और उस चालक की उपेक्षा को दावा याचिका में पक्षकारों के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है तो उसका अभिप्राय: यह है कि उनके विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की गई है और दावा याचिका मात्र एक अन्य यान के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध ही फाइल की गई है जिसे स्वयं मृतक द्वारा चलाया जा रहा था और मृतक द्वारा स्वयं को यान चलाने की स्वामी की जिम्मेदारी ले ली गई थी तो क्या स्वयं मृतक द्वारा चलाए जा रहे यान की बीमा कंपनी, अधिनियम, 1988 की धारा

163क के अधीन प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी होगी ? क्या मृतक यान संख्या आरजे 02 एसए 7811 का पर-व्यक्ति नहीं होने के नाते स्वामी की जिम्मेदारी में होने के नाते उक्त यान के स्वामी से अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा कायम रख सकता है ?

5.1 विद्वान् अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्य यान के चालक, स्वामी और बीमा कंपनी का दुर्घटना में अंतर्वलित होने के अभाव में भी और जिसके चालक की एकमात्र उपेक्षा थी, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन उस यान के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध आवेदन कायम रखे जाने योग्य होता है जिसे स्वयं मृतक द्वारा चलाया जा रहा था, प्रथमतः, इस आधार पर कि मृतक उस यान के स्वामी के नियोजन में था जिसे उसके द्वारा चलाया जा रहा था और द्वितीयतः, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन आवेदन में उपेक्षा को सिद्ध और साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है और मात्र यह सिद्ध और साबित करना ही पर्याप्त होता है कि मृतक की मृत्यु यानिय दुर्घटना में हुई है और यान चलाते समय हुई है । उच्च न्यायालय इससे सहमत नहीं था और अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि दावेदारों ने उस एक अन्य यान के स्वामी के विरुद्ध दावा याचिका फाइल नहीं की है, दावेदारों के अनुसार भी जिसके चालक की वस्तुतः उपेक्षा थी और दावेदारों द्वारा उस एक अन्य यान के स्वामी के विरुद्ध प्रतिकर की ईप्सा करते हुए, दावा याचिका फाइल की जानी चाहिए थी, स्वयं मृतक द्वारा चलाए जा रहे यान के बीमा कंपनी के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन आवेदन खारिज किए जाने योग्य है ।

5.2 वर्तमान मामले में, अंतर्वलित पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, सर्वप्रथम, विवाद्यक सं. 2 पर विद्वान् अधिकरण द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार किया जाना अपेक्षित है । विद्वान् अधिकरण ने इस प्रभाव का विवाद्यक सं. 2 विरचित किया था कि क्या मृतक-चालक, यान-मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 को यान स्वामी-विरोधी पक्षकार-भगवान सहाय के हित में या उसकी अनुज्ञा/जानकारी में उसके नियोजन के अधीन चला रहा था ?

5.3 विद्वान् अधिकरण द्वारा विवाद्यक सं. 2 पर अभिलिखित निष्कर्ष का उत्तर देते समय, यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार, विद्वान् अधिकरण पूर्वोक्त विवाद्यक पर किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया है । विवाद्यक सं. 2 का उत्तर देते समय, इस बाबत कोई विनिर्दिष्ट निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है कि क्या मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में था या नहीं । अन्यथा भी, दावेदारों द्वारा यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में था । उपर्युक्त के बावजूद, विवाद्यक सं. 4 का उत्तर देते समय विद्वान् अधिकरण द्वारा इस बारे में कुछ मताभिव्यक्ति की गई है कि मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में था जिसका अभिलेख पर किसी साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं होता है । इन परिस्थितियों में, मृतक-चालक, विरोधी-स्वामी भगवान सहाय के नियोजन में होना नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, उसे विरोधी-स्वामी भगवान सहाय द्वारा धारित मोटर साइकिल का अनुज्ञेय उपयोगकर्ता और/अथवा उधार लेने वाला कहा जा सकता है । इन निष्कर्षों के साथ इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए इसमें उपर्युक्त निर्दिष्ट मुख्य प्रश्न पर विचार किया जाना अपेक्षित है ।

5.4 **निनगम्मा** बनाम **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एक ही प्रश्न उद्भूत हुआ था । उस मामले में, मृतक उस मोटर साइकिल को चला रहा था जो इसके असली स्वामी से उधार लिया गया था और बैलगाड़ी के टक्कर से अर्थात् बिना किसी अन्य यान के अंतर्वलित हुए बिना, दुर्घटना घटित हुई थी । मृतक के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा उस मोटर साइकिल के असली स्वामी के विरुद्ध जिसे मृतक द्वारा चलाया जा रहा था, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा याचिका फाइल की गई थी । उसमें, इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि मृतक ने यान के स्वामी की

---

[1] (2009) 13 एस. सी. सी. 710.

जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए, अधिनियम, 1988 की धारा 163क लागू नहीं हो सकती थी जिसमें यान का स्वामी स्वयं अंतर्वलित है । परिणामतः, यह अभिनिर्धारित किया था कि मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर का दावा नहीं कर सकते हैं । इसलिए, चूंकि, वर्तमान मामले में, दावेदार, अपराध करने वाले यान अर्थात् मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223, अपराध करने वाले यान के संबंध में पर-व्यक्ति होने के नाते चालक, स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन प्रतिकर और/अथवा दावा याचिका फाइल कर सकते थे । तथापि, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 29 2एम 9223 के चालक, स्वामी और/अथवा बीमा कंपनी के विरुद्ध कोई दावा याचिका फाइल नहीं की है । यह एक स्वीकृत प्रास्थिति है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन कोई दावा मात्र उस मोटर साइकिल रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध ही फाइल की जा सकती थी जिसे मृतक द्वारा विरोधी-स्वामी भगवान सहाय से उधार में लिया गया था । इसलिए, **निनगम्मा** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि लागू होती है और क्योंकि मृतक ने यान रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी की जिम्मेदारी स्वयं ले ली थी, इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा यह सही ही अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन यान रजिस्ट्रीकरण संख्या आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध दावा याचिका कायम नहीं रखा जाएगा ।

5.5 यह सत्य है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावे में, दावेदारों के लिए उपेक्षा का अभिवाक् करना या सिद्ध करना आवश्यक नहीं है/अथवा यह कि मृत्यु, जिसके संबंध में दावा याचिका फाइल की गई है, वह संबंधित यान के स्वामी के दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुआ है, सिद्ध करना ईप्सित है । यह भी सत्य है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा याचिका बिना

किसी दोष के दायित्व के सिद्धांत के आधार पर आधारित है । तथापि, उस समय पर, मृतक एक तृतीय पक्षकार था और उस यान के स्वामी/बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा कायम नहीं रख सकता था जिसे उसने उधार लिया था क्योंकि उसने स्वामी की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर ले ली थी और वह यान रजिस्ट्रीकरण सं. आरजे 02 एसए 7811 के स्वामी और बीमाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1988 की धारा 163 के अधीन दावा कायम नहीं रख सकता है । वर्तमान मामले में, पक्षकार, बीमा संविदा द्वारा शासित है और बीमा संविदा के अधीन बीमा कंपनी का दायित्व मात्र तृतीय पक्षकार के बराबर होता है । वर्तमान मामले में, जैसा कि इसमें उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है, मृतक को बीमाकृत यान रजिस्ट्रीकरण सं. आरजे 02 एसए 7811 के संबंध में तृतीय पक्षकार नहीं कहा जा सकता है, इस बारे में, कोई विवाद नहीं किया जा सकता है कि बीमा कंपनी का दायित्व, बीमा संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होता है । जैसा कि इस न्यायालय द्वारा **धनराज** बनाम **न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.**[1] वाले मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा पॉलिसी में यान (जिसमें माल का स्वामी या उसका प्राधिकृत सम्मिलित है) से किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित होने के संबंध में बीमाकृत द्वारा या यान के उपयोग द्वारा कारित या उद्भूत तृतीय पक्षकार के किसी संपत्ति में क्षति कारित होने का दायित्व सम्मिलित होता है । उपर्युक्त विनिश्चय में, इस न्यायालय द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 147 यह अपेक्षा नहीं करती है कि बीमा कंपनी, यान के स्वामी की मृत्यु या शारीरिक क्षति के लिए जोखिम के लिए उपधारणा करे ।

5.6 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कथित कारणों से, वर्तमान मामले में, जैसा कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा मात्र उस यान के स्वामी और बीमा कंपनी के विरुद्ध किया गया था जिसे मृतक द्वारा स्वयं चलाया जा रहा था जिसे उसने यान के स्वामी से उधार लिया था और उसने स्वामी की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर

---

[1] (2004) 8 एस. सी. सी. 553.

ले ली थी, इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह सही ही मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि ऐसा दावा कायम रखे जाने योग्य नहीं है और दावेदारों को अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावा अपराध करने वाले यान अर्थात् आरजे 29 2एम 9223 उक्त यान के तृतीय पक्षकार होने के नाते चालक, स्वामी और/या बीमा कंपनी के विरुद्ध करना चाहिए ।

5.7 अब जहां तक दावेदारों के विद्वान् अधिवक्ताओं द्वारा **नवीन कुमार** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने का संबंध है, उक्त विनिश्चय में, अंतर्वलित विवाद्यक पर विचार करते हुए, हमारी यह राय है कि उक्त विनिश्चय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा और/या उससे दावेदारों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी । उस मामले में, विवाद्यक यह था कि किसे यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी कहा जा सकता है और उस स्वामी का दायित्व जिसे यान का विक्रय किया गया था किन्तु उसका नाम रजिस्ट्रीकरण करने वाले प्राधिकारी के समक्ष स्वामी के रूप में निरंतर बना हुआ था । उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यक्ति जिसके नाम में मोटर यान रजिस्ट्रीकृत होता है वह भी अधिनियम, 1988 के प्रयोजन के लिए यान का स्वामी होता है ।

5.8 तथापि, उस समय पर बीमा संविदा के अनुसार भी वैयक्तिक दुर्घटना के मामले में स्वामी-चालक 1 लाख रुपए की रकम पाने का हकदार होता है । इसलिए, मृतक, जैसा कि इसमें उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है जिसने स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, बीमा संविदा के अनुसार भी 1 लाख रुपए पाने का हकदार होगा । तथापि, मूल दावेदारों का यह पक्षकथन है कि द्वितीय अनुसूची में संशोधन हुआ है और मृत्यु के मामले में, 5 लाख रुपए की नियत रकम विनिर्दिष्ट की गई है और इसलिए, दावेदार 5 लाख रुपए पाने के हकदार होंगे । इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, दुर्घटना, वर्ष 2006 में घटित हुई थी और यहां तक कि विद्वान् अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय और पंचाट वर्ष 2009 में पारित किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश तारीख 10 मई, 2018 को

अर्थात् द्वितीय अनुसूची में संशोधन के पूर्व पारित किया गया था । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दावेदार द्वितीय अनुसूची में संशोधन का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । उस समय पर, जैसा कि उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है, दावेदार बीमा संविदा के निबंधनों के अनुसार चालक द्वारा यान के स्वामी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के कारण 1 लाख रुपए पाने का हकदार होगा ।

5.9 अब, जहां तक दावेदारों की ओर से किए गए निवेदन का संबंध है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दावे में मात्र यान का उपयोग करना ही पर्याप्त है और उस मोटर साइकिल के स्वामी के उत्तराधिकारियों द्वारा दावाकृत प्रतिकर के बावजूद, जो दुर्घटना में सम्मिलित था जिसके परिणामस्वरूप, उसकी मृत्यु हुई थीं, अधिनियम, 1988 की धारा 163 के अधीन दावा कायम रखने का संबंध है, **रजनी देवी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । **रजनी देवी** (उपर्युक्त) वाले मामले में, यह विनिर्दिष्टत: मत व्यक्त किया गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के उपबंधों को उस दुर्घटना के संबंध में, किसी प्रकार से लागू होना कहा जा सकता है जिसमें मोटर यान का स्वामी स्वयं अंतर्वलित है । **ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **झूमा साहा**[1], **धनराज** (उपर्युक्त), **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.** बनाम **लक्ष्मी नारायण दत्त**[2] और **प्रेम कुमारी** बनाम **प्रहलाद देव**[3] वाले मामलों में, इस न्यायालय के विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा अंततोगत्वा यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अधीन दायित्व यान के स्वामी पर होता है क्योंकि एक व्यक्ति दोनों अर्थात् दावेदार और प्राप्तकर्ता भी नहीं हो सकता है और इसलिए, स्वामी के उत्तराधिकारी, अधिनियम, 1988 की धारा 163क के निबंधनों में

---

[1] (2007) 9 एस. सी. सी. 263.

[2] (2007) 3 एस. सी. सी. 700.

[3] (2008) 3 एस. सी. सी. 193.

दावा कायम रख नहीं सकते हैं । यह भी मत व्यक्त किया जाता है कि उक्त प्रयोजनों के लिए मात्र बीमा संविदा के निबंधनों का ही अवलंब लिया जा सकता है । **आशोलता भौमिक** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के नवीनतम विनिश्चय में, इस न्यायालय द्वारा यह विनिर्दिष्टत: अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकार, बीमा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे । इसलिए, बीमा संविदा के अनुसार, बीमा कंपनी, तृतीय पक्षकार को प्रतिकर संदाय करने के लिए दायी होगी और न कि स्वामी को सिवाय 1 लाख रुपए की सीमा तक जैसा कि इसमें उपर्युक्त मत व्यक्त किया गया है ।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कथित कारणों से, वर्तमान अपील, पूर्वोक्त सीमा तक भागत: मंजूर की जाती है और यह मत व्यक्त किया जाता है और अभिनिर्धारित किया जाता है कि मूल दावेदार दावा याचिका की तारीख से इसके उद्ग्रहण होने तक 7.5% वार्षिक ब्याज की दर के साथ मात्र 1 लाख रुपए पाने के हकदार होंगे । वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील भागत: मंजूर की गई है ।

क.